

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकहु, हजारीबाग

आदेश पत्रक

वाद संख्या : .....101...../2016-17 / 2020-21

लेख्य प्रकार- ~~सि.वे.ए.न.प.न.न.मा.दे.दी~~

3/11/20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लंबित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नये भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखके अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निदेशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0म0 नीति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुदेश/निदेश के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जमाबंदियों की जाँच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 न0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा	जमाबंदीदार	पंजी-2 का
कोल्हारा सुई	01	—	0.74	रैयत का नाम बाले महल सिधमन महल	पृ0सं0/भाग 1/83

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।

अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें

अंचल अधिकारी  
बरकहु

23/11/20

23/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जाँच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0 1/83 वनाम ~~बाले महल~~ को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की ~~23/11/20~~ की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही को भेजें।

अंचल अधिकारी  
बरकहु

23/11/20

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - नारायण बहल पिपू-थमन बहल
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- बंदा 2वा ए  

मौजा	थाना रा०	खाता रा०	प्लॉट रा०	रकबा
<u>कौ-1525/296</u>	<u>99</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>0.74 ए.</u>
3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या...../..... पृष्ठ रा०-...89... पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 1978-79
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम - बंदा 2वा ए
6. किस राक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है आदेश क्र. 157/81
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम -
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्दिष्ट सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अर्धघ भूवदावस्ती -
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (मूलभूत जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पेजी-II
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
	<u>965853</u>	<u>28/6/14</u>	<u>2014-15</u>

[Signature]  
28/6/14

संदिग्ध/अवैध जमावन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला  
चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - ह.प.रा. व.प.रा. व.प.रा.  
 2. क) अवैध जमावन्दीदार का नाम- नारायण महेता  
 ख) अवैध जमावन्दी की भूमि की विवरणी-

नौजा	थाना न०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>कोनहरा</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>—</u>	<u>०.५५</u>	<u>गैर खाली</u>	<u>कोनहरा खेसरा सं० ११ पर ०.५५ रकबा का भूखंड है।</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप- पट्टी  
 4. अवैध जमावन्दी पंजी ॥ में कब से संधारित है- १९७८-७९  
 5. उक्त जमावन्दी पंजी ॥ में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम- कार्यालय सुधार नहीं है!  
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।  
 6. नामान्तरण/दाखिल -खारिज उपरान्त संधारित जमावन्दी के मामलों में मूल जमावन्दी रैयत की विवरणी-  
 7. अवैध जमावन्दी कायम किये जाने का आधार  
 i) अनिविधित सादा हुकुमनामा  
 ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार)  
 iii) अवैध भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ)  
 8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादस पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (१००/- रुपये कम या इससे अधिक)  
 9. अवैध जमावन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है:-  
 i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से - ५  
 ii) अंचल / अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से - ५  
 iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - ५  
 10. क) अवैध जमावन्दी क्या दिनांक ०१.०१.१९४६ के पूर्व से कायम है? नहीं  
 11. क्या दिनांक ०१.०१.१९४६ के बाद से १९५५-५६ तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? नहीं  
 12. वर्ष १९५४-५५ में हुए फिल्ड बुझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमावन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं  
 13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित- राजि गैर खाली सं० ११ पर खतियानी- ०.५५ रकबा का भूखंड है। कितना!  
 14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरान्त मन्तव्य सूहित स्पष्ट प्रतिवेदन कोनहरा खेसरा सं० ११ पर ०.५५ रकबा का भूखंड है।

अंचल अधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता अनुमंडल पदा० अपर समाहर्ता उपायुक्त